कार्यालय सहा... ...पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

हिमाली व अन्य बनाम् हेमाराम व अन्य

किस्म मुकदमा – आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151

मुकदमा संख्या – C/14/2026 जीसीएमएस नं 2026/91

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वनिता जोशी उपस्थित। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 10.04.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
10.04.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मय दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर दिनांक 15.07.2025 को निस्तारित मूलवाद संख्या पी–11–2025 (2025/22) एवं प्रार्थना पत्र संख्या ए–10–2025 (2025/23) को पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न मूलवाद की आदेशिका की सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह जाहिर है कि मूल वाद व प्रार्थना पत्र की पत्रावली प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के नोटिस की डाक रसीदे व ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर कॉस्ट रूपये 200/– पर दिनांक 15.07.2025 को नियत थी। उक्त नियत दिनांक पर वादीगण/प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रकरण दिनांक 15.07.2025 को अदम हाजरी अदम पैरवी में निस्तारित किये गये। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 को निर्णित करने से पहले प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को निर्णित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र में वादीगण अधिवक्ता द्वारा देरी से प्रार्थना पत्र करने का मूल कारण वादीगण अधिवक्ता द्वारा गलत तारीख दर्ज होना उल्लेखित किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करते हुए उक्त तथ्यों को सद्भाविक प्रतीत होने से वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत	

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 के प्रस्तुतिकरण में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 की बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने यह कथन किये हैं कि ''दिनांक 15.07.2025 को मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी में नियत थी, जिनके नोटिस/सम्मन पूर्व में भेजे जा चुके हैं परन्तु प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं आए है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 में अप्रार्थीगण को पुनः नोटिस/सम्मन जारी करने की आवश्यकता नहीं है।'' हमने पत्रावली के संलग्न मूलवाद की आदेशिका का अवलोकन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि निस्तारित दिनांक 15.07.2025 को उक्त वाद प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत थी। परन्तु वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आए। प्रार्थीगण अधिवक्ता के सशपथ प्रस्तुत नियत तारीख पेश पर अनुपस्थित रहने के कारणों को सद्भाविक मानते हुए तथा प्रकरण का निर्णय तकनीकी आधार पर न किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 09 नियम 04 सी. पी.सी. सपठित धारा 151 स्वीकार किया जाता है। मूल वाद संख्या पी-11-2025 (2025/22) एवं प्रार्थना पत्र संख्या ए-10-2025 (2025/23) को पुनः नंबर पर लिया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	